मूल वाद संख्या 2020/059

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

हरनाम सिंह बनाम किना सिंह(मृतक) व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2020/038

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
27.10.2020	वकील प्रार्थी श्री राजवीर सिंह द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। बहस एक पक्षीय सुनी गई। एक पक्षीय बहस उपरान्त व प्रार्थी के शपथ–पत्र एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी तक वादग्रत आराजी चक 2 सी बडी के खाता संख्या 78/56 के मुरब्बा नम्बर 12 की 3.138 हैक्टेयर व खाता संख्या 73/53 के मुरब्बा नम्बर 12 की 2.831 हैक्टेयर में से 1/2 कृषि भुमि में से प्रार्थी के हिस्से तक की कृषि भूमि को उभयपक्ष किसी भी तरीके से रहन, बैय, हस्तातरण करने से निषिद्व रहने एवं मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने का स्थगन आदेश दिया जाता है। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/ असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 3 तीन दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 13 नवम्बर 2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13.11.2020	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3.12.2020	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16.12.2020	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

16.05.24 वकीलप्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी द्वारा
अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस/
तलबाना पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी/
वकील प्रार्थी को दिनांक 18.03.24 से
लगातार अप्रार्थीगण की तलबी करवाये
जाने बाबत आदेश दिये जा चुके हैं।
प्रार्थी वकील को दिनांक 06.05.24 को
अप्रार्थीगण की तलबी करवाये जाने
बाबत अन्तिम अवसर दिया जा चुका
है किन्तु वकीलप्रार्थी द्वारा आज दिनांक
तक अप्रार्थीगण की तलबी नहीं करवाई
गई है एवं न्यायालय के आदेशों की
अवहेलना की गई है। इससे प्रतीत होता
है कि प्रार्थी/प्रार्थी वकील की मामले में
अग्रिम कार्यवाही बाबत कोई रूचि नहीं
है। अतः पत्रावली आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के अन्तर्गत
खारिज की जाती है। पत्रावली रजिस्टर
दायरा पंजिका के इन्द्राज कम
की जाकर निर्णय की मूसल में
शामिल हो।

(2)